न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 35/2020 बअनवान सुआ बनाम घमण्डाराम वगैरा

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती सुआ पुत्री स्व0 श्री मंगलाराम माली पत्नी श्री शिवलाल निवासी मसुरिया जोधपुर।		01.घमण्डाराम पुत्र स्व0 मगलाराम माली के कायम मुकाम 1.आयचूका पत्नी स्व0 श्री घमण्डाराम 2.सोहनराम पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 3.किशनाराम पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 4.जगदीश पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 5.लूणसिह पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 6.खेताराम पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 7.कानसिह पुत्र स्व0 श्री घमण्डाराम 8.कमला पुत्री स्व0 श्री घमण्डाराम 9.मंजु पुत्री स्व0 श्री घमण्डाराम 10.सुरता पुत्री स्व0 श्री घमण्डाराम निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.श्रीमती मकली पुत्री स्व0 श्री मंगलाराम माली पत्नी श्री प्रेमजी माली निवासी ग्राम गोलासनी तहसील व जिला जोधपुर। 2/1. लूणाराम पुत्र श्री प्रेमजी माली 2/2. ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमजी माली 2/3 ताराचन्द्र पुत्र श्री प्रेमजी माली 2/4 इमजी पुत्र श्री प्रेम जी माली सभी निवासीगण ग्राम गोलासनी तहसील व जिला जोधपुर। 03.श्रीमती चाँदनी जैन पत्नी श्री मुकेश जैन जाति जैन निवासी भास्त्री नगर जोधपुर। 04.श्रीमान तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

वाद बाबत बंटवाडा अन्तर्गत धारा 88 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

01.वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिसिह कच्छवाह उपस्थित।

02.प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व प्रेमकुमार देवडा उपस्थित।

आदेश दिनांक 13/9/2021

वादीनी ने वाद बाबत घोषणा खातेदारी,विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा के अन्तर्गत धारा 88,53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दिनांक 04.04.2021 को प्रस्तुत किया। जो दावा दर्ज कर प्रतिवादगण को तलब किया। प्रतिवादीगण वाद तामिल उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। वाद में प्रतिवादीगण घमण्डाराम के वारिसान द्वारा विवाद ग्रस्त भूमि में से खसरा नं. 56 का सम्पूर्ण हिस्सा श्रीमती चांदनी जैन पत्नी मुकेश जैन को विकय कर दी जिस पर वादीनी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिस पर श्रीमती चांदनी जैन को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी चांदनी जैन द्वारा जवाब दावा पेश किया गया।

वादीनी ने वाद पत्र में अभिवचन किये कि आराजी खसरा सं. 47 रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा स. 56 रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 101 बीघा 07 बिस्वा कृशि भूमि वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी में स्थित है। जिसमें वादीनी का हिस्सा 1/3 है। उपरोक्त खसरान् की भूमि वादीनी के पुश्तैनी एवं पैतृक कृशि भूमि है जिसका जोधपुर गवर्नमेन्ट के समय खतौनी संवत 1998 में वादीनी के दादा "हीरो(हरीराम) बेटों कुम्बारों जात रो माली वासी गांव रो" के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त के बाद वादीनी के पिता मंगलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। वादीनी के पिता मंगलाराम जी के देहावसान के बाद उपरोक्त कृशि भूमि वादीनी के भाई घमण्डाराम के नाम से दर्ज हो गई जो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

गलत है तथा मंगलाराम के वारिसान की जांच किए बिना राजस्व अधिकारियों ने अलग इन्द्राज कर दिया जबकि मंगलाराम के तीनों वारिसान वादीनी,घमण्डाराम एवं पुत्री मकली के नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी जिनका हिस्सा बराबर-बराबर बनता है। वादीनी का हिस्सा 1/3 है। प्रतिवादी संख्या 9 से 1 वादीनी के भाई घमण्डाराम के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीनी की सगी बहिन है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है तथा विवादग्रस्त आराजी पु तैनी भूमि है जो उत्तराधिकार के आधार पर वादीनी को एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को खातेदारी में प्राप्त हुई थी। इस कारण वादीनी का 1/3 हिस्सा है तथा वादीनी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावें। विवादग्रस्त आराजी बाबत किसी भी प्रकार से कोई बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हुआ हैं न ही तरमीम हुई हैं। ऐसी स्थिति में विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जावें जिसके लिए वादीनी को खातेदार घोषित किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वो वादीनी का हक हिस्सा बेचान नहीं करें। उक्त की जानकारी दिनांक 14.03.2011 को ही हुई हैं तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम सालावास की सीमा में स्थित होने से श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोशित किया जावें तथा विभाजन कर अलग खाते में दर्ज कर अलग खाते में दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निशेधाज्ञा की डिक्री पारित कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे वादीनी के उपयोग उपभोग से बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादीनी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज पेश किए जो संलग्न पत्रावली है।

प्रतिवादीगण **1/1** से **1/10**की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि घमण्डाराम पुत्र मंगलाराम के खातेदारी की कृशि भूमि है तथा घमण्डाराम जी के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज हैं तथा उक्त भूमि में खसरा नं. 56 की भूमि प्रतिवादीनी चांदनी जैन को विक्रय की जा चुकी हैं तथा चांदनी जैन बहैसीयत खातेदार काबिज हैं। विवादग्रस्त भूमि वादीनी की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि भूमि नहीं हैं। वादीनी ने जान बूझकर मंगलाराम जी की देहान्त की तिथि अंकित नहीं की हैं तथा वादीनी ने जान बूझकर तथ्यों को छुपाया हैं। मंगलाराम जी का स्वर्गवास 1956 से पूर्व ही हो चुका था ऐसी स्थिति में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही भूमि घमण्डाराम जी के नाम से हो गई थी। इस कारण वादीनी का कोई हक हिस्सा नहीं हैं। इस कारण वादीनी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी सख्या 2 श्रीमती मकली के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है एवं उनके वारीशान 2/1 से 2/4 भी अनुपस्थित रहै।

प्रतिवादी संख्या 3 चांदनी जैन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में विर्णत तथ्यों का खण्डन अस्वीकार किया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि घमण्डाराम के खातेदारी की भूमि थी। वादीनी के दादा हीरो पुत्र कुम्भा का स्वर्गवास सन 1955 से पूर्व ही हो गया तथा वादीनी के पिता मंगलाराम का स्वर्गवास भी हीरा से पूर्व ही हो गया हैं तथा इस कारण 1955 में ही विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा घमण्डाराम के नाम से स्वीकार किया गया। इन परिस्थितियों में वादीनी को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इस कारण वादीनी का कोई हक हिस्सा नहीं हैं। वादीनी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादीनी का कथन पूर्णतः गलत हैं कि वादीनी का 1/3 हिस्सा है। ऐसी स्थिति में वादीनी कोई घोषणा बंटवाड़ा एवं स्थाई निशेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी भी नहीं हैं। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं तथा काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही हीरा एवं मंगला का स्वर्गवास हो गया था तथा घमण्डाराम के नाम से भूमि दर्ज हो गयी थी। इस कारण वादीनी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज पेश किए जो शामिल मिसल हैं।

वादीनी का वाद दिनांक 12.01.2017 को वादीनी एवं उसके अधिवक्ता की गैर हाजरी के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसको बाद में रेस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उक्त मामले में निगरानी राजस्व मण्डल में पेश की गई जो निगरानी/TA/2564/2020/जोधपुर दिनांक 13.08.2020 स्वीकार की जाकर शीघ्र सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण छः माह में किए जाने के निर्देश न्यायालय को प्राप्त हुए जिस पर पक्षकारान की सहमति से माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में प्रकरण पर सुनवाई प्रारम्भ की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वादीनी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकीयात किये गये। साथ ही तनकीयात कायम हो जाने के प श्चात न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गये परन्तु उक्त अवसर मे साक्ष्य वादीनी के रूप मे न वादीनी ने अपना भापथ पत्र पेश किया और न ही कोई धाराजोरी की। प्रतिवादी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की जो निगरानी टीए/2584/2020 मे दिनांक 13.11.2020 को इस न्यायालय को दिशा निर्देश प्रदान किए जिसमे प्रकरण को छः माह मे निस्तारण करना जिसकी जानकारी वादीनी को थी बावजूद वादीनी ने कोई कदम नही उठाये और न ही साक्ष्य पेश किये जिस पर न्यायालय द्वारा अनेक अवसर देने के बावजूद नियमानुसार साक्ष्य वादीनी बन्द की गई। तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत रही तथा प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के बाद पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत रही परन्तु वादीनी ने साक्ष्य बन्द करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की। वादीनी द्वारा माननीय जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष स्थान्तारण प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उस न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13.11.2020 को प्रेशित की परन्तु स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मे कोई स्थगन बाद कार्यवाही रोके जाने बाबत कोई निर्देश इस न्यायालय को प्राप्त नही हुए और न ही वादीनी ने कोई आदेश पेश किया। बाद मे पक्षकारान के अधिवक्तो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली निर्णय हेतु नियत रही जिसके बाद दिनांक 02.08.2021 को वादीनी ने बिना भापथ पत्र के एक प्रार्थना पत्र घारा 151 सीपीसी पेश कर प्रकरण पर पुनःतामील करवाने का निवेदन किया जिसका जबाव प्रतिवादी द्वारा पेश किया जो प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है क्योंकि वादीनी की मंशा यह है कि प्रकरण को लम्बा करने का दर्शित होता है। वादीनी को अपने दावे को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य हेतु समय दिया गया था तथा नियमानुसार एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार वादीनी की साक्ष्य के लिए अनेक अवसर दिए गए परन्तु वादीनी ने अपनी साक्ष्य में कोई भी भापथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही स्वंय साक्ष्य हेतु पेश हुई। इन परिस्थितियों में वादीनी की साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया परन्तु वादीनी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण ने भी साक्ष्य पेश नहीं की जिस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली बहस हेतु नियत की। सुना गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद पत्र में किए अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तनकीयात को साबित करने का भार वादीनी पर था। परन्तु वादीनी न तो स्वंय साक्ष्य के रूप में परिक्षित हुई और न ही शापथ पत्र पेश किए। ऐसी स्थिति में वादीनी पर जिन तनकीयात को सिद्ध करने का भार था उसे अपनी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया तथा बार बार तकाजा के एवं मौका देने के बावजूद भी वह साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जबकि माननीय राजस्व मण्डल के निर्देश न्यायालय को प्राप्त थे इस कारण भी अनेकों अवसर के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और न ही अपने अभिकथनों एवं दस्तावेजों को प्रूफ किया। पत्रावली के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि पूर्व में भी वाद का अदम हाजरी में खारिज होना तथा साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आना और न ही साक्ष्य पेश करना जो यह दर्शित करता है कि वादीनी अपने वाद को चलाने के लिए उदासीन एवं लापरवाह है मात्र विवाद बना रहे इस कारण वाद कार्यवाही चला रही है। ऐसी परिस्थिति में वादीनी को विवादग्रस्त भूमि हेतु घोशणा,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पाने के तनकीयात को वादीनी साबित नहीं कर पाई। जबकि प्रतिवादीगण ने वादीनी के वाद पत्र को अस्वीकार किया था तथा प्रतिवादी ने जवाब दावे में स्पष्ट कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि वर्ष 1955 से पूर्व ही अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही प्रतिवादी घमण्डाराम के नाम से इन्द्राज चली आ रही हैं तथा किसी भी रूप में कब्जा वादीनी का नहीं रहा हैं और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश किया हैं जो प्रथम दृष्टया वादीनी के कब्जे या हक बाबत हो। ऐसी स्थिति में वादीनी का वाद एवं तनकीयात साबित नहीं होने के कारण वादीनी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना कानूनी रूप से लाजमी है। यद्यपि प्रतिवादीगण पर तनकीयात को साबित करने का भार था जिन्होंने भी साक्ष्य पेश नहीं की जिसमें वो तनकीयात भी साबित नहीं हुई हैं परन्तु जब वादीनी वाद लेकर आई तथा घोषणा हेतु वाद साबित नहीं कर पाई तथा न ही विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा हेतु कायम तनकीयात को साबित कर पाई हैं। इस कारण वाद वादीनी खारिज किए जाने योग्य हैं। कानून का यह सुस्थापित नियम है कि वादीनी को अपना वाद साबित करना था जिसे वह साबित नहीं कर पाई हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादीनी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अतः वादीनी का वाद बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी